न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 149/2021 223 आरटीएक्ट

1. गिरदावरी पत्नी स्व. श्री काशीराम जाति जाट निवासी चक 12 डीबीएल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. संदीप (नाबालिग) पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट जरिये श्रीमति सिलोचना माता खुद कुदरती बली निवासी चक 12 डीबीएल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (फौत)।

   1/1 निक्को पत्नी स्व. श्री संदीप पुत्री कृष्ण कुमार श्योराण जाति जाट साकिन ममेरा कलां तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

2. काशीराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन चक 12 डीबीएल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (फौत)।
3. हनुमान उर्फ अवनिन्द्र
4. लीलूराम उर्फ लीलाधर
5. भूपसिंह

   } पि0 काशीराम जाति जाट साकिन चक 12 डीबीएल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6. मैना पुत्री श्री काशीराम पत्नी श्री पोकरमल जाट साकिन भगवान पोस्ट देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
8. सब रजिस्ट्रार तहसील टिब्बी (तर्क)।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.06.2001 (25.06.2001)
व डिक्री दिनांक 25.06.2001 सहायक कलक्टर
संगरिया हाल टिब्बी, प्रकरण सं. 237 सन् 1999

<u>उपस्थित :–</u>

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो० सं० 1
श्री राकेश मेहरड़ा अधिवक्ता रेस्पो० सं० 3
श्री दलीप सारस्वत अधिवक्ता रेस्पो० सं० 4 व 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6
श्री रविन्द्र कुमार राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 17.XI.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद ईस्तकरार हक व खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व वादी द्वारा दिनांक 23.12.2000 को प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई एवं तहसील से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अपीलांटा वादग्रस्त भूमि में हक निहित होने के कारण आवश्यक व अहम पक्षकार थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिये अपीलांटा द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांटा व रेस्पो. 1/1 ने दिनांक 12.10.2021 को अदालत में हाजिर आकर राजीनामा पेश किया किया एवं राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया। अपीलांटा ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रेस्पो. सं. 1/1 के पति संदीप पुत्र रामचन्द्र को मिले हिस्सा को चुनौती दी है जो कि चक 6 एम जेड डब्ल्यू प.नं. 189/368 मु.नं. 1 किला नं. 5 की 0.253 है0 प.नं. 190/368 के मु.नं. 2 के किला नं. 1 की 0.018 है0 किला नं. 2 से 5 प्रत्येक की 0.253 है0 प.नं. 191/368 मु.नं. 3 किला नं. 1 की 0.253 है0 कुल 1.951 है0। चक 5 एम जेड डब्ल्यु के प.नं. 189/366 किला नं. 16 की 0.09 है0, किला नं. 17 की 0.253 है0 किला नं. 18 की 0.253 है0 किला नं. 19 की 0.05 है0 एवं चक 14 डीबीएल के प.नं. 185/363 मु.नं. 7 किला नं. 16 की 0.253 है0 किला नं. [illegible] की 0.063 है0 किला नं. 25 की 0.202 है0 प.नं. 186/363 मु.नं. 6 किला नं. 20 की 0.253 है0 किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक की 0.202 है0, कुल तादाद 1.579 है0 है। उक्त भूमि पैतृक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि है व एक पीढ़ी से दुसरी पीढी को विरासत में मिलती रही है तथा इसी अनुसार रेस्पो0 सं. 1/1 के ससुर रामचन्द्र की अपने जीवनकाल में मृत्यु होने के कारण सीधी राजीनामा की डिक्री के जरिये रेस्पो. के पति संदीप के नाम दर्ज हुई थी। रेस्पो. सं. 1/1 के पति संदीप की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसका विरासती इंतकाल अभी तक किसी के नाम दर्ज नहीं हुआ है। रेस्पो. सं. 1/1 के व संदीप के नुफ्ते से कोई संतान नहीं है तथा वह अन्यत्र विवाह करना चाहती है भविष्य में संदीप के नाम दर्ज खातेदारी बाबत् कोई विवाद न हो इस कारण रेस्पो. सं. 1/1 लोक अदालत की भावना से उक्त भूमि में अपना तमाम हक व हिस्सा अपीलांटा गिरदावरी के पक्ष में तर्क करती है तथा उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उसका कोई हक व हिस्सा बनता भी है तो वह अपीलांटा गिरदावरी के पक्ष में तर्क करती है। लिहाजा राजीनामा में अंकित चक 6 एम जेड डब्ल्यू की 1.951 है0, चक 5 एम जेड डब्ल्यू की 0.646 है0 एवं चक 14 डीबीएल की 1.579 है0, जो वर्तमान में संदीप पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज है, कुल खातेदारी को अपीलांटा गिरदावरी पत्नी काशीराम के पक्ष में बतौर खातेदारी दर्ज करवाने हेतु सहमत है। खर्चा पक्षकारन अपना अपना वहन करेंगे। रेस्पो. सं. 2 ता 4 के हिस्से का कोई विवाद नहीं है, उनका हिस्सा यथावत रहेगा। अतः राजीनामा पक्षकारान स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे।

3. उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता को राजीनामा पर सुना गया। बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

4. विद्वान अधिवक्तागण अपीलांटा व रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस राजीनामा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा अपील के निस्तारण किये जाने का कथन किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारन जो एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका आपस में राजीनामा हो गया है एवं मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.06.2001 (25.06.2001) व डिक्री दिनांक 25.06.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रश्नगत भूमि, चक 6 एम जेड डब्ल्यू की 1.951 है0, चक 5 एम जेड डब्ल्यू की 0.646 है0 एवं चक 14 डीबीएल की 1.579 है0 जो वर्तमान में संदीप पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज है, की कुल खातेदारी को अपीलांटा गिरदावरी पत्नी काशीराम के पक्ष में बतौर खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.XI.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/XI/21

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested